

पंचायत निगरानी संख्या : 359/2024
 उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97
 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 359/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/221

प्रार्थी :-

अप्रार्थीगण :-

विकास अधिकारी पंचायत समिति

बाली

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल

2. नाती पत्नी श्री मदनलाल जाति

खारोल निवासी खीमेल तहसील

बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा मिसल संख्या 116/2021-22 पट्टा बुक संख्या 134 में दिनांक 09.11.2021 को जारी पट्टा न. 50 को निरस्त करवाने बाबत।

:-निर्णय:-

दिनांक: 16.04.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा मिसल संख्या 116/2021-22 पट्टा बुक संख्या 134 में दिनांक 09.11.2021 को जारी पट्टा न. 50 जारी किया गया जिसको निरस्त करवाने बाबत पेश की गई।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार परिवादी श्री जगदीश माली की शिकायत पर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली द्वारा दो अतिरिक्त विकास अधिकारियों की कमेटी गठित कर ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा जारी पट्टों की जांच करवाई गई। कमेटी द्वारा की गई जांच में श्रीमती नाती पत्नी श्री मदनलाल जाति खारोल निवासी खीमेल को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई:-

क. अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है क्योंकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराये जाने का इच्छुक है वहां पुश्तैनी मकान का विनियमितकरण कर पट्टा जारी किया जाता है परन्तु ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को मिसल संख्या 116/2021-22 पट्टा बुक संख्या 134 में पट्टा न. 50 दिनांक 09.11.2021 को जारी किया गया है। जांच के दौरान अप्रार्थी संख्या 02 का मौके पर मकान दो वर्ष पूर्व ही बना हुआ था। इसलिए ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी किया गया जो नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

पंचायत निगरानी संख्या : 359/2024
 उन्वान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97
 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि गाम पंचायत खीमेल द्वारा मिसल संख्या 116/2021-22 पट्टा बुक संख्या 134 में दिनांक 09.11.2021 को जारी पट्टा न. 50 की वैधता, शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से काबिल अधिवक्ता ने निम्नानुसार जवाब पेश किया :-

1. पद संख्या एक निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अप्रार्थीया की जानकारी के अनुसार ग्राम खीमेल निवासी जगदीश माली आदतन शिकायती है एवं ब्लेकमेल कर रकम की वसूली करता है। अप्रार्थीया को जगदीश माली की तथाकथित शिकायत एवं जांच की जानकारी नहीं है।

क. अप्रार्थीया को ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा मिसल संख्या 116/2021-22 के जरिये विधिक कार्यवाही सम्पन्न कर पट्टा नम्बर 50 दिनांक 09.11.2021 को जारी किया गया था, की सीमा तक कथन सही होने से स्वीकार है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीया का मकान पुश्तेनी होने एवं जर्जर होने की वजह से कोई दुर्घटना घटित नहीं हो जिस हेतु जर्जर मकान को ध्वस्त करवा कर मौके पर से मलबा माह जनवरी 2022 में हटा दिया था। अप्रार्थीया द्वारा जर्जर मकान का मलबा हटाये जाने के बाद तथाकथित जांच अधिकारियों के द्वारा जांच के दौरान मौके पर मकान पाये जाने की स्थिति दृष्टिगोचर होने की संभावना ही नहीं थी। जिस कारण से अप्रार्थी का पट्टा खारिज करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अप्रार्थीया विधवा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की महिला होने से आर्थिक तौर से गरीब होने की वजह से नया मकान मौजूदा परिस्थिति में बनाने से अक्षम है एवं कोई दुर्घटना घटित नहीं हो जिससे अप्रार्थीया ने जर्जर मकान को ध्वस्त करवा मलबा हटाया था। अप्रार्थीया जर्जर मकान को पट्टा कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान हटाना चाहती थी परन्तु ग्राम पंचायत की कार्यवाही में बाधा पैदा नहीं हो जिससे अप्रार्थीया ने पट्टा प्राप्त करने के बाद जर्जर मकान का मलबा हटवाया था। ग्राम पंचायत खीमेल के मौजूदा सरपंच रमेश जी की राजनैतिक दुश्मनी के कारण झूठी शिकायत के आधार पर अपूर्ण असमय जांच कर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी है। जिससे भी निगरानी काबिल खारिज है। अतः निगरानी याचिका का जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी याचिका अविलम्ब खारिज फरमावें।

बहस के दौरान प्रार्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति बाबत म्याद निवेदन किया गया कि हस्तगत निगरानी अवधि बाधित है। एवं निगरानीकर्ता द्वारा उक्त देरी के उपशमन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानान्तर्गत पृथक से

पंचायत निगरानी संख्या : 359/2024
 जनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97
 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः म्याद के विन्दु पर हस्तगत निगरानी को खारिज किया जाए।

इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीपत्र में ही उल्लेखित है कि हस्तगत निगरानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली द्वारा गठित दो अतिरिक्त विकास अधिकारियों की जाँच समिति के रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है। उक्त जाँच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा श्रीमान सम्भागीय आयुक्त पाली को प्रेषित करते हुए ज़रिए आदेश क्रमांक/जिपपा/2023/4295 दिनांक 08.02.2024 से प्रार्थी विकास अधिकारी बाली को जैर आलोच्य पट्टो के संबंध में सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। विकास अधिकारी पं.स. बाली द्वारा 21.03.2024 को हस्तगत निगरानी दर्ज करवाई गई। अतः अवधि बाधित होने का प्रश्न हस्तगत निगरानी के संबंध में सिद्ध नहीं होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 श्रीमती नाती के पक्ष में दिनांक 09.11.2021 को जैर आलोच्य पट्टा संख्या 50 (मिसल संख्या 116/2021-22) बमाप 1200 वर्गफूट राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। उक्त नियम 157(1) पुराने घरों के विनियमितकरण को उपबन्धित करता है एवं उक्त पट्टे की शर्त संख्या 01 में अंकित भी किया हुआ है कि पूर्वोक्त आवंटित का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है। किन्तु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाली द्वारा गठित दो सदस्यीय जाँच समिति की जाँच रिपोर्ट(प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ सलंगन) के पैरा संख्या 02 में स्पष्ट अंकन है कि "ग्राम पंचायत द्वारा बुक संख्या 134 में पट्टा संख्या 50 (मिसल संख्या 116/2021-22) दिनांक 09.11.2021 को श्रीमती नाती पत्नि मदनलाल निवासी खीमेल को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया गया लेकिन मौके पर जाँच के दौरान श्रीमती नाती का मकान लगभग 02 वर्ष पूर्व बना हुआ होना ही नाती द्वारा पूछने पर बताया।"

इस संबंध में पट्टाधारी एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने निगरानी के जवाब में अंकित किया है कि मकान जर्जर होने से जनवरी 2022 में उक्त मकान को ध्वस्त कर मलबा हटा दिया गया था। किन्तु अप्रार्थी संख्या 02 का उक्त तर्क पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल मिसल संख्या 116/2021-22 में सलंगन एवं तीन पंचो द्वारा प्रस्तुत भूमि निरीक्षण प्रपत्र में उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का मकान या घर निर्मित होने का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मिसल दायर होने की दिनांक 05.10.2021 की तिथि की ही एक मौका फर्द भी मिसल के सलंगन है, जिसमें उक्त भूखण्ड पर घास फूस का कच्चा झोपड़ा होने का उल्लेख है। किन्तु उक्त मौका फर्द पर दो पंचो के ही हस्ताक्षर हैं जिसकी पुष्टि सरपंच के हस्ताक्षर एवं मोहर से की हुई है। आबादी भूमि निरीक्षण प्रपत्र के

पंचायत निगरानी संख्या : 359/2024
 उन्वान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97
 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अतिरिक्त पृथक से तैयार हस्तलिखित मौका फर्द किन नियमों के अन्तर्गत तैयार की गई, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त तीन पंचों की समिति में से केवल दो पंचों के हस्ताक्षर होने से भी उक्त मौका फर्द की वैधानिकता संदेहास्पद है।

इस प्रकार यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि जैर आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व जैर निगरानी भूखण्ड पर नियम 157 (1) की पूर्वापेक्षा अनुरूप नियमों के लागू होने से पूर्व के पचास वर्षों अथवा पचास वर्षों के दौरान कोई मकान निर्मित नहीं था। अप्रार्थी ने ऐसा कोई फोटोग्राफ, विद्युत बिल आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं, जो उनके जवाबपत्र में अंकित तर्क की पुष्टि कर सकें।

इस प्रकार ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती नाती के पक्ष में पुराने घर के विनियमितिकरण के रूप में नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा जारी कर विधिक त्रुटि कारित की गई है, क्योंकि नियम लागू होने के पचास वर्ष पूर्व अथवा पचास वर्षों के दौरान निर्मित मकान संबंधि कोई भी रिपोर्ट मिसल पर उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार से जारी जैर निगरानी पट्टा 'प्रारम्भतः ही शून्य' (ab initio void) है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी बाली द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा श्रीमती नाती पत्नी श्री मदनलाल के पक्ष में जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 50 (मिसल संख्या 116/2021-22) बमाप 1200 वर्गफूट दिनांक 09.11.2021 को निरस्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत खीमेल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जैर आलोच्य भूखण्ड के संबंध में राज. पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 150 एवं 151 के प्रावधानानुसार निलामी प्रक्रिया प्रभाम में लावे ताकि ग्राम पंचायत को अधिकतम राजस्व प्राप्ति हो सके।

विकास अधिकारी प.स. बाली को निर्देश दिए जाते हैं कि जैर-निगरानी पट्टे से संबंधित सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध ग्राम पंचायत को राजस्व हानि कारित करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रेषित कर न्यायालय हाजा को तीस दिन की अवधि के भीतर पालना प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलन्द्र सिंह)

R.A.S

अतिरिक्त निगरानी अधिकारी,
 बाली, जिला बाली